

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक-

पत्रांक-07/प्र०-01-(पें०)-20/2025-

आदेश

श्री बालेश्वर पासवान, (आई०डी०-4475) सेवानिवृत्त (दिनांक-28.02.2022) कार्यपालक अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के सेवा अवधि में अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना 1979 तथा नई ग्रुप बीमा योजना 1997 में उनके द्वारा किये गये अंशदान एवं भुगतेय राशि की गणना विवरणी निम्न प्रकार है:-

I	सेवा आरम्भ की तिथि	29.09.1995
II	सेवानिवृत्ति की तिथि	28.02.2022
III	सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या	BHR/BES-8077
IV	माह सितम्बर-1995 से माह मार्च-1998 तक रुपये 80/- प्रतिमाह की दर से कुल मूलधन की राशि	2,480.00/-
V	मूलधन की राशि रुपये 2,480.00 पर माह फरवरी-2022 तक देय ब्याज की राशि रुपये	24,127.00/-
VI	माह अप्रैल-1998 से माह फरवरी-2022 तक रुपये 120/- प्रतिमाह की दर से कुल मूलधन की राशि रुपये 34,440/- में 30% की राशि रुपये 10,332/- मात्र की कटौती के पश्चात भुगतेय मूलधन की राशि	24,108.00/-
VII	मूलधन की राशि रुपये 24,108/- पर माह फरवरी-2022 तक देय ब्याज की राशि	50,290/-
योग रुपये:-		1,01,005/-

2. श्री बालेश्वर पासवान, (आई०डी०-4475) सेवानिवृत्त (दिनांक-28.02.2022) कार्यपालक अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उन्हें नई ग्रुप बीमा योजना नियमावली 1997 में निहित प्रावधान के आलोक में रुपये 1,01,005/- (एक लाख एक हजार पाँच रुपया) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के माध्यम से की जायेगी। इस राशि का भुगतान श्री बालेश्वर पासवान के बैंक खाते में किया जायेगा।

4. यह राशि लघु शीर्ष "107-बीमा और पेंशन निधियाँ राज्य सरकार बीमा निधि (व्यय)" विपत्र कोड 008011001070001 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

5. आदेश पर सक्षम प्राधिकार के रूप में अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(चन्दन कुमार मिश्र)
उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-01-(पें०)-20/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(चन्दन कुमार मिश्र)

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-01-(पें०)-20/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (ग्रुप बीमा प्रशाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(चन्दन कुमार मिश्र)

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-01-(पें०)-20/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(चन्दन कुमार मिश्र)

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-01-(पें०)-20/2025-

183

पटना, दिनांक- 14/01/26

प्रतिलिपि:- उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/श्री बालेश्वर पासवान, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, पता-कानीगोड़िया, पो०-चुटिमा, भाया-बांका, थाना-औराई, जिला-बांका पिन कोड-813102, मो०-9471830626 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, WRD, सूचना प्रावैधिक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 14/01/26

(चन्दन कुमार मिश्र)

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।